न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—64/2017 (2017/00188) वाद पत्र

उनवान

1—पारस पिता शंकरलाल जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रामस्वरूप ना.बा.बे. माता प्रमदेवी पत्नि शंकरलाल जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता लेहरू जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्रहलाद ना.बा.बे. माता शारदा नातायत पत्नि शंकरलाल जाट नि. आम्बाकाखेड़ा तह. रायपुर
3—भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर
4—उप पंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादीगण अधिवक्ता
2. मुकेश कुमार चौधरी— प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आम्बाकाखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की मौरूषी कृषि अराजियात नवीन खाता संख्या 90 में अंकित आराजी संख्या 54 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.25 है0 आराजी संख्या 258 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 259 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि आराजियात वादीगण के दादाजी लेहरू पिता उदा जाट के समय से चली आ रही है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 धर्म से हिन्दु होकर एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर लेहरू जी की संतान है। वादग्रस्त उक्त भूमियां लेहरू के नाम पर होकर उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई। वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात में वर्तमान खातेदार शंकरलाल जो वादीगण का प्राकृतिक पिता है और वादीगण उसकी जायन्दा संतान है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो शंकरलाल की नातायत पत्नि का पुत्र है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा संतान होकर प्रथम श्रेणी की संतान है वादीगण का अपनी मौरूषी भुमियों में जन्म से हक एवं हिस्सा है वादीगण अपनी मौरूषी भुमियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ [illegible] राजस्व खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात में वादीगण का प्रत्येक का [illegible] 1/4 हिस्सा यानि की वादीगण का संयुक्त रूप से उक्त आराजियात [illegible] वादीगण वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात [illegible] पर काबिज होकर [illegible] माता के जरिये काश्त कर अपना भरण पोषण कर रहे है [illegible]गण की आजिविका [illegible] का एक मात्र साधन उक्त कृषि भुमियां ही है प्रतिवादी संख्या 1 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर उक्त भुमियों को दिनांक 04/09/2017 को खुर्द बुर्द करने की गरज से ग्राहक ढुंढने लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

तथा उसमे वादीगण की माता जो उनकी विधिक पत्नि उसके जीवित रहते दुसरा विवाह कर लिया तथा वादीगण की माता को त्याग कर रखा है उनकी किसी प्रकार से देखभाल नहीं करता है न ही उनके गुजर बसर हेतु किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देता है वादीगण अपनी माता के साथ रहकर एक मात्र कृषि भूमि पर आधारित है इसके अलावा उनके पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी विधिक आवश्यकता के भूमियों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है जब कि प्रतिवादी संख्या 1 को हमारे हिस्से की भुमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की घोषणा इस आशय की करवाई जाना आवश्यक हो गया है कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात मे वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा यानि दोनों का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होकर वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य व्यक्तियो व भु—माफियों व उसकी नातायत पत्नि के बहकावे में आकर वादीगण को हमारे जायज हक से महरूम करने की नियत से वादग्रस्त आराजियात में हमारे हिस्से को भी अन्य को रहन, बय, बक्षिस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है जिससे उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। वादपत्र की कलम नम्बर 1 मे अंकित आराजियात पुर्व में वादीगण के दादाजी लहरू पिता उदा जी जाट के नाम खाते में दर्ज रेकार्ड थी जिसके साबिक आराजी संख्या 20/1, 105, 111, 113, 112 किता 5 रकबा 10 बीघा प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 तक मय मीलान क्षेत्रफल साथ प्रस्तुत की है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है तदनुसार वादीगण को वादपत्र की कलम संख्या 1 में आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात में वादीगण के निहित हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा न ही वादीगण को उनके हिस्से से बैदखल करे तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार जिनसे कोई ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि वादीगण ... उक्त भूमि मौरूषि भूमि है और उसमें वादीगण का कोई हक बनता है। प्रतिवादी ... एक लहरू जी की संन्तान हूँ और वादीगण प्रतिवादी संख्या एक की सन्तान है तथा वादग्रस्त भूमि पूर्व में लहरू जी के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है लेकिन लहरू जी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण करण मुझ प्रतिवादी संख्या एक व गीता एवं शंकरी के

नाम 1/3 हिस्से से दर्ज रिकार्ड थी जिसे प्रतिवादी की दोनो बहिनो ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक के नाम हकत्याग करा दिया जिसका नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 20/05/2007 है। वादी संख्या एक अभी अभी बालिग हुआ है और वादी संख्या दो अभी भी नाबालिग है तथा उन्हें संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता पुरूष के क्या कर्तव्य है उन्हें नहीं पता है तथा वादी संख्या एक के विवाह में मुझ प्रतिवादी ने करीब 10 लाख रूपये खर्च कर उसका विवाह कराया है जिसका कर्जा मुझ प्रतिवादी के उपर बकाया है जिसका भुगतान किया जाना शेष है तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का वर्तमान में कोई भी हक हिस्सा नही बनता है तथा वादीगण अपने कर्तव्यो से भटक रहे है। जबकि उनका नैतिक दायित्व बनता है कि अपनी जिम्मेदारी का पालन करे एवं अपने माता पिता की सेवा करें। तथा वादीगण ने जो अपना 1/4 हिस्सा बताया है वह भी सर्वथा गलत है क्योकि वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या एक का बनता है और 1/3 हिस्सा मुझ प्रतिवादी की बहिन गीता का बनता हैं तथा 1/3 हिस्सा मेरी बहिन शंकरी का बनता है जिससे दोनो बहिने ने अपना हिस्सा मुझ प्रतिवादी के पक्ष में हकत्याग कर देने से उपरोक्त वाद ग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा में से 1/4 यानि की 1/12 हिस्सा बनता है वो कि वादीगण अपना कर्ज अदा करने के बाद उक्त भूमि को रहन मुक्त कराने के बाद ही बनता जबकि उक्त भूमि वर्तमान में पड़ी हुई है। वादीगण ने अभी तक उक्त आराजीयात कहा पर स्थित है उसको देखा भी नही वादीगण दूसरे राज्यों में व्यवसायरत है तथा मे प्रतिवादी वादीगण का पिता हूँ और उसका भला भुरा अच्छी तरह से समझता हूँ और उसने दूसरों के बहकाने में आकर यह वाद पत्र पेश किया। यदि मैं प्रतिवादी उपरोक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की मन्शा रखता तो कभी की खुर्द बुर्द कर देता। इसके अलावा वादीगण को करीब 30 लाख रूपये का ब्रोकर खरीद कर दिया जिससे वह व्यवसाय कर सालाना करीब 20 लाख रूपये कमा रहा है। जिससे वादी का वर्तमान में कोई भी हक हिस्सा नहीं बनता है जबकि तक वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर देता। मै प्रतिवादी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं हूँ और न ही मै प्रतिवादी किसी भूमाफिया को जानता हूँ और तथा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को कोई हक अधिकार निहित नहीं है जब तक मैं जीवित हूँ और मुझ प्रतिवादी के मृत्यु पश्चात स्वतः ही वादीगण के अपने हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार अर्जित कर कब्जा धारण कर सकते है इसके अलावा मुझ प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात् वादीगण वर्तमान के हिस्से से भी अधिक भूमि प्राप्त करेगें और बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा भी स्वीकार नही कि जा सकती है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें एवं खातेदार के विरूद्ध भी कानूनी रूप से स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार नही फरमायी जा सकती है जिससे भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारीज फरमाया जाने योग्य है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अं[illegible]या वादीगण की मोरूषी भूमिया है जिनमें वादीगण प्रत्येक का जन्म[illegible] 1/4 हिस्सा [illegible] है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी

2. आया वादीगण का निहित हिस्सा प्रतिवादीगण [illegible] बुर्द कर उनको अपने हक हिस्से से महरूम करना चाहते है जिससे विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना आवश्यक है। जिम्मे प्रतिवादी

3. आया वादवर्णित आराजियात में प्रतिवादी की बहिनो का हिस्सा निहित था जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष हकत्याग होने से वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा नही होने से वाद खारीज फरमाया जावे।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादवर्णित जायदाद बी.ओ.बी. बैंक शाखा आशाहोली के रहन होने से वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा संतान है। वादवर्णित भूमि वादीगण की पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है और वादीगण की माता प्रेमदेवी को प्रतिवादी के द्वारा त्याग कर नया नाता विवाह कर लिया जिससे प्रतिवादी भूमि बैचने पर आमादा है। वादीगण का वादवर्णित भूमि में जन्म से अधिकार है। वादीगण के दादा लहरू जी के तीन विधिक वारीस थे जिसमें से दोनो भुवाओ ने पिता की सम्पति में अपना हक लेने से मना कर दिया जो भुवाओं के द्वारा अपनी मर्जी से हक त्याग किया है जिससे सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो वादीगणो की पैतृक है। वादीगण के जिम्मे की दोनो तनकियात को रेकार्ड और साक्ष्य प्रमाणित कराया है। प्रकरण में जो वादीगण की ओर से जो रेकार्ड पेश किया है जो प्रदर्श 1 से 3 है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है, और लिखित बहस में निवेदन किया कि वादवर्णित भूमि वादीगणो की मौरूषी कृषि आराजियात है जो दादाजी लहरू के नाम पर थी। लहरूजी के फोत होने पर पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्रीयां गीता व शंकरी के नाम 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज हुई जिसमें गीता व शंकरी के नाम पर दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में गीता व शंकरी के द्वारा हकत्याग करा दिया है। वादीगण का वाद पोषणीय नही है। तनकी संख्या 1 व 2 को साबित कराने में वादीगण असफल रहा है जिससे वाद खारीज किये जाने योग्य है। वादवर्णित भूमि में प्रतिवादी की बहनो का हिस्सा था जो प्रतिवादी 1 के पक्ष में हकत्याग होने से वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा नही बनता है। जिरह में वादीगण के सभी गवाहो ने लेहरूजी के दो पुत्रीयां व एक पुत्र होना स्वीकार किया और दोनो पुत्रीयों ने अपना अपना हिस्सा अपने भाई शंकरलाल के हिस्से में हकत्याग किया जिससे वादीगण का हिस्सा 1/4–1/4 नही बनता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् विभाजन वाद पिता के जीवनकाल के दौरान नही कर सकते है जिससे भी वाद पोषणीय नही है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने ओमप्रकाश व अन्य बनाम अमरनाथ व अन्य एसबी सिविल अपील संख्या 104 आफ 1997 में पारित निर्णय 2018 (2) [illegible] 405 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया जिसके अनुसार वाद खारीज किया जाने [illegible]दन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

दोनो अधिवक्ताओ की [illegible] विचार कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन करने के [illegible] तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित [illegible]मिया वादीगण की मोरूषी भूमिया है जिनमें वादीगण प्रत्येक का जन्म से 1/4 हिस्सा निहित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा इस तनकी के समर्थन में जमाबन्दी रोटेशन संवत 2042 से 2045 के खाता संख्या 64 की एवं जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 के खाता संख्या 90 की नकले पेश की गई जिसमें वादवर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज लहरू पिता उदा जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श 1 और 1 डी है। जमाबन्दी रोटेशन संवत 2061 से 2064 में खातेदार लहरू पिता उदा के फोत होने पर भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण 84 दिनांक 19.01.2007 से लहरू के बजाय शंकरलाल पुत्र लहरू, गीता, शंकरी पुत्रीयां लहरू के नाम दर्ज हुई है। और इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 20.05.2007 से गीता व शंकरी के द्वारा शंकरलाल के हक में हकत्याग करने से सम्पूर्ण भूमि शंकरलाल के नाम दर्ज हुई है प्रेमदेवी के द्वारा अपने बयान में कहा कि मेरे पति शंकरलाल के द्वारा न तो कोई जमीन क्रय की है न विक्रय की है जो भूमि है वो मेरे ससुरजी के नाम की है। अर्थात वादवर्णित भूमि लेहरू के बजाय शंकरलाल के नाम दर्ज है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वादीगण के स्वयं के बयान में भी वादीगण के दादा लहरू पिता उदा के नाम की भूमि शंकरलाल के नाम दर्ज हुई है जो पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा भी अपने बयान में कहा कि मेरे दो पत्नियां है मेरी बड़ी वाली पत्नि का नाम प्रेमी है जिसके दो संतान है व दुसरी पत्नि का नाम शारदा जिसके एक संतान है और मैं शारदा के साथ रहता हुॅ। जमीन मेरे पिताजी के समय की होकर इस भूमि पर रहन दर्ज है। वाद के अनुसार शंकरलाल के दो पुत्र वादीगण व एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 है। इस प्रकार वादवर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तीन पुत्र एवं प्रतिवादी स्वयं है। इस प्रकार वादवर्णित भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है जिससे वादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादीगण का निहित हिस्सा प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द कर उनको अपने हक हिस्से से महरूम करना चाहते है जिससे विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना आवश्यक है। **जिम्मे प्रतिवादी**

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगणो पर था। वादीगण के द्वारा इस तनकी के समर्थन में वादी पारस के द्वारा अपने बयान में कहा कि मेरे पिता आये दिन मेरे से लड़ाई झगड़ा करते जिससे में बहार मजदुरी करता हुॅ। मजदुरी के पैसे मेरे पिता को देता रहा हुॅ और मेने पिताजी से कभी झगड़ा नही किया और मेरे पिता के द्वारा मुझे जमीन को बेचने की धमकी देते रहते है। इसके अतिरिक्त प्रेमदेवी ने अपने बयान में कहा कि मेरा विवाह शंकरलालजी के साथ हुआ है और मेरे पति शंकरलाल के द्वारा कहा कि सारी जमीन मै बेच दुगां किसी के नाम नही करूंगा जिससे मेंने दावा पेश किया है। शंकरजी के हिस्से की भूमि से वा[illegible] की भूमि होती है। प्रतिवादी 2 के द्वारा वादीगणो की माता एवं पूर्व पत्नि प्रेम[illegible]त्याग कर दुसरा विवाह कर लिया है और दुसरी पत्नि के साथ रह [illegible] पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 है। वादीगण एवं उनकी माता से [illegible] आपस में मनमुटाव होने से भूमि को खुर्द बुर्द करना बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible]करलाल के द्वारा भी अपने बयान में कहा कि मेरे दो पत्नियां है मेरी बड़ी वाली पत्नि का नाम प्रेमी है जिसके दो संतान है व दुसरी पत्नि का नाम शारदा जिसके एक संतान है और मैं शारदा के साथ रहता हुॅ। जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

मेरे पिताजी के समय से होकर इस भूमि के रहन दर्ज है। वादीगणो इस तनकी को साबित कराने मे सफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

3. आया वादवर्णित आराजियात में प्रतिवादी की बहिनो का हिस्सा निहित था जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष हकत्याग होने से वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा नही होने से वाद खारीज फरमाया जावे।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श डी 1 जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 के खाता संख्या 90 की नकल प्रस्तुत की जो वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लहरू पिता उदा के नाम दर्ज है। खातेदार लहरू पिता उदा के फोत होने पर जरिये नामान्तकरण 84 दिनांक 19.01.2007 से भूमि मृतक लहरू के विधिक वारीसान शंकरलाल, गीता, शंकरी के नाम भूमि विरासत से दर्ज हुई जिसमें पुत्रीयां गीता और शंकरी के द्वारा पिता की सम्पति में कोई हिस्सा नही लेने से सम्पूर्ण भूमि बाद हकत्याग प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज हुई जो वादीगण के पिता है। वर्तमान में लहरू के नाम की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 2 के नाम है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजो की है। प्रतिवादी संख्या 1 की न तो आवंटित भूमि है और न ही क्रय शुदा भूमि है। उक्त भूमि में पैतृक है जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज इस प्रकरण में प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो कि वादवर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि हो। प्रतिवादी संख्या 1 को जो भूमि दर्ज रेकार्ड है वो बिना किसी मेहनत एवं प्रतिफल के एवं बहिनो के द्वारा भी अपना हक नही लेने से भूमि से बहिनो के नाम से हटकर प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के 3 पुत्र एवं स्वयं को मिलाते हुए वादवर्णित भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादीगण असफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादगण किया जाता है।

4. आया वादवर्णित जायदाद बी.ओ.बी. बैंक शाखा आशाहोली के रहन होने से वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादवर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा ऋण लिया गया हो। अगर मान भी लिया जावे कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा ऋण लिया गया हो तो भी भूमि रहन दर्ज होने से वाद प्रभावित नही होता है। ऋण हमेशा सम्पति के एवज में लिया जाता है अगर ऋणी द्वारा समय पर ऋण जमा नही कराया जाता है तो उस ऋण के पेटे रहन रखी गई [illegible] है। भूमि बैंक के रहन होने पर भी कब्जा सम्बंधित खातेदारो का ही होता है [illegible]ीय संस्था का नही है। भूमि के रहन रहने से न्यायालय कार्यवाही [illegible] राशि जमा नही कराने पर सम्पूर्ण भूमि से राशि वसूल की [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने हक हिस्से की सीमा तक जिम्मेदार [illegible] है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस तनकी को साबित कराने में सफल नही रहने से जिससे इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

5. अनुतोष ?

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि वादीगण के द्वारा वाद को पूर्ण रूप से प्रमाणित करवाया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त 2018 (2) सीजे सिविल (राज.) पेज 1105 ओमप्रकाश एवं अन्य बनाम अमरनाथ व अन्य जो पेश कर लिखित बहस में पैरा 17 की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है जिसका अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के पैरा 17 में विवाद मकान से सम्बंधित था और पिता के जीवित रहते हुए पुत्रो के द्वारा मकान में हिस्सा / विभाजन का वाद पेश करने से माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है किन्तु इस प्रकरण में विवाद कृषि भूमि का है जो उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आम्बाकाखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा की नवीन आराजी संख्या 54 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.25 है0 आराजी संख्या 258 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 259 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि मे वादी संख्या 1 को 1 / 4 हिस्सा वादी संख्या 2 को 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी रखा जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हिस्से से बैदखल नही करे। एवं शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/7/2022

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–64/2017 (2017/00188) वाद पत्र

उनवान

1–पारस पिता शंकरलाल जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रामस्वरूप ना.बा.बे. माता प्रमदेवी पत्नि शंकरलाल जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1–शंकरलाल पिता लेहरू जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रहलाद ना.बा.बे. माता शारदा नातायत पत्नि शंकरलाल जाट नि. आम्बाकाखेड़ा तह. रायपुर
3–भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर
4–उप पंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आम्बाकाखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा की नवीन आराजी संख्या 54 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.25 है0 आराजी संख्या 258 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 259 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि मे वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी रखा जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हिस्से से बैदखल नही करे। एवं शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20/7/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:38:29 IST
Reason: SelfAttested